



## पृष्ठभूमि

मानव तस्करी का मुकाबला करने के लिए केंद्र (सेंटर फॉर काउंटरगि ह्यूमन ट्रेफिकिंग - CCHT) मानव तस्करी संगठनों को बाधित और वधित करने और पीड़ितों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतविद्ध है। इस कार्य का एक मुख्य भाग देशव्यापी कानून प्रवर्तन से सभी नरितर उपस्थिति अनुरोधों को संसाधित करना है।

## नरितर उपस्थिति क्या होती है?

नरितर उपस्थिति (CP) एक अस्थायी आवरण पदनाम है जो कानून प्रवर्तन द्वारा पहचान किए गए व्यक्तियों को “व्यक्तियों में तस्करी के गंभीर रूप” के शिकार के रूप में प्रदान किया जाता है जो संभावित गवाह हो सकते हैं। CP तस्करी के शिकार लोगों को कानूनी रूप से यू.एस. में अस्थायी रूप से रहने की अनुमति देता है और उनके खिलाफ किए गए मानव तस्करी से संबंधित अपराधों और 18 U.S.C. § 1595 पीड़ितों द्वारा अपने तस्करों के खिलाफ दायर की गई किसी भी नागरिक कार्रवाई के जांच के दौरान काम करें। CP को शुरू में दो साल के लिए दिया जाता है और दो साल तक की वृद्धि में नवीनीकृत किया जा सकता है। CP प्राप्तकर्ताओं को संघीय लाभ और सेवाएं भी मिलती हैं।

## नरितर उपस्थिति का महत्व

CP पीड़ितों को यू.एस. में अस्थायी रूप से रहने और काम करने के लिए कानूनी साधन मुहैया कराता है, जिससे उन्हें स्थिरता, समर्थन का साधन और सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह हटाने और आर्थिक सहायता के बारे में आशंकाओं को दूर करता है, जो न केवल पीड़ितों को स्थिर करता है, बल्कि कानून प्रवर्तन में सहयोग करने की पीड़ितों की क्षमता में सुधार करता है। इसलिए CP भी मानव तस्करी से संबंधित अपराधों की उनकी जांच में संघीय, राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो अधिक सफल अभियोजन के लिए अग्रणी है। पीड़ितों के लिए CP का नियमित उपयोग सेवा प्रदाताओं और संगठनों के साथ विश्वास भी बढ़ाता है जो कानून प्रवर्तन के लिए रेफरल का स्रोत हो सकते हैं जो पीड़ितों को आगे आने पर संरक्षित किया जाएगा। अंततः यह कानून प्रवर्तन की क्षमता को और अधिक पीड़ितों और तस्करों की पहचान करने के लिए बढ़ाता है।

## नरितर उपस्थिति का अनुरोध कैसे किया जाता है?

एक तस्करी पीड़ित व्यक्ति की पहचान पर एक CP आवेदन तुरंत शुरू किया जाना चाहिए, जो एक संभावित गवाह हो सकता है।

CP को मानव तस्करी की जांच या मुकदमा चलाने के अधिकार के साथ किसी भी संघीय, राज्य या स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुरोध किया जा सकता है। राज्य और स्थानीय अनुरोध एजेंसियों द्वारा प्रस्तुतियों एक संघीय एजेंसी द्वारा प्रायोजित की जानी चाहिए और CCHT को संघीय प्रायोजन एजेंसी के नामति POC के माध्यम से कराई जानी चाहिए। इन संघीय एजेंसियों में शामिल हैं, उदाहरण के लिए, HSI, FBI, DSS, DOL, EEOC और कोई भी USAO। नकिटतम HSI क्षेत्र कार्यालय से संपर्क करें और उचित रूपों और प्रस्तुत नरिदेशों के लिए पैरोल समन्वयक से पूछें।

यदि अनुरोध एक नागरिक कार्रवाई पर आधारित है, तो नकिटतम HSI क्षेत्र कार्यालय से संपर्क करें, पीड़ित सहायता वशिषज्ज से पूछें, और दायर शिकायत की एक प्रत प्रदान करें।

यदि आवश्यक हो, तो CP की समय सीमा समाप्त होने से 60 दिन पहले CP नवीनीकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

## नरितर उपस्थिति को कौन अधिकृत करता है?

CCHT देश के कानून प्रवर्तन से सभी CP अनुरोधों को संसाधित करता है। यदि अनुमोदित हो, CCHT स्वास्थ्य और मानव सेवा (HHS) को सूचित करता है, जो तब संघीय लाभ और सेवाओं के लिए पीड़ित की पात्रता की पुष्टि करने वाला प्रमाणन पत्र जारी करता है।<sup>1</sup> CCHT, USCIS को भी सूचित करता है, जो तब पीड़ित के आवरण पदनाम और एक रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज (EAD) को दर्शाता हुआ फॉर्म I-94 (आगमन-प्रस्थान रिकॉर्ड) उत्पादन करता है, ताकि पीड़ित को वधिपूर्वक काम करने की अनुमति मिल सके। CP का अनुरोध करने वाला कानून प्रवर्तन अधिकारी पीड़ित को ये दस्तावेज प्रदान करता है।

पीड़ितों को हर समय अपने केस एजेंट और पीड़ित सहायता वशिषज्ज के नाम और फोन नंबर उनके साथ रखना चाहिए, I-94 और EAD के अलावा जो साबित करता है कि उनके पास CP है। यह जानकारी आवरण या अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों को अनुरोध के अनुसार प्रदान की जानी चाहिए।

## “पीड़ितों की तस्करी के गंभीर रूप” का शिकार कौन होता है?

संघीय परिभाषा में एक व्यक्ति शामिल होता है जिसके अधिन किया गया है:

- सेक्स तस्करी — बल, धोखाधड़ी या जबरदस्ती से प्रेरित व्यावसायिक यौन कार्रवाई के उद्देश्य से किसी व्यक्ति की भरती, उत्पीड़न, परविहन, प्रावधान, प्राप्त करना, संरक्षण देना, या याचना करना, या जिसमें ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है; या
- श्रम तस्करी — अनैच्छिक सेवाभाव, चपरासी, ऋण बंधन या दासता के अधिन करने के उद्देश्य से बल, धोखाधड़ी, या जबरदस्ती के उपयोग के माध्यम से भरती, शरण, परविहन, प्रावधान या श्रम या सेवाओं के लिए एक व्यक्ति को प्राप्त करना।



<sup>1</sup> वयस्क पीड़ितों के विपरीत, इन लाभों को प्राप्त करने के लिए नाबालग पीड़ितों को कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है।